इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2016—अग्रहायण 9, शक 1938

### उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1-36-2016-अड़तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन में शाखा अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा भर्ती संबंधी नियम 1975 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं.

### संशोधन

नियमों 6 में,—

1. उपनियम (1) खण्ड 'क' के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये अर्थात्:—इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित विधियों से की जावेगी:—

(क) खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जावेगी, जिसमें साक्षात्कार/प्रत्यक्ष भेंट की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी.

(ख) उपनियम 1 (क) का लोप किया जाये.

2. नियम—11-भर्ती

नियम 11 भर्ती के उपनियम 1(क) (चयन द्वारा) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

2. सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर किया जायेगा. साक्षात्कार/प्रत्यक्ष भेंट की प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी.

नियम—11 के उपनियम 1-(क) चयन द्वारा के उपखण्ड 2 को लोप किया जाये.

### प्रारूप-ब

चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत भर्ती हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है. भर्ती में पारदर्शिता, सरलता एवं स्पष्टता रखने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत, प्रशासकीय आदेश द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये जावेंगे, जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार/प्रत्यक्ष भेंट के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जावेगा.

No. F. No. 1-36-2016-XXXVIII-1.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Non Gazetted Class Three (Collegiate Branch), Service Recruitment rule 1975, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. In Rule-6 (mode of Recruitment)

In Rule-6 sub Rule (1) for clause (A) the following clause shall be substituted, namely:—

1. Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be by the following methods.

(A) By open competitive examination in which Procedure of interview/Personal meeting shall not be adopted.

(B) In Rule-6 sub Rule (a) Clause (A) shall be omitted.

2. In Rule-II-Recruitment :

In Rule-II sub Rule (1) for clause (A) sub clause-2 (By selection) the following clause shall be substituted, namely:—

(A) Selection of the candidates for the service shall be made by the selection Committee after conducting competitive examination Procedure of interview/Personal meeting shall not be adopted.

(B) In Rule-II sub rule (1) (Clause 'A' by selection) sub clause 'B' shall be omitted.

**Form-B**

At present there is no provision of conductiong interview in the civil service recruitment rules for class IV cadre. After administrative approval, government will issue clear cut instructions under which interview/personal meeting in the procedure of direct recruitment of class IV employees shall be banned. In this way transparency, easiness and clarity in the recruitment will be mainfained.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ज्ञानेश्वर बी. पाटील**, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.